राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2393/2025

सुरेश जैन

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये सचिव, पशु पालन विभाग, राजस्थान सरकार,

शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 20.03.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1)(क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को निलम्बित किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थी को अवैध एवं मनमाने तरीके से निलम्बित किया गया है, जो गलत है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित गया है कि अपीलार्थी द्वारा आचरण नियमों के विरूद्ध कार्य करते हुए पशुधन निरीक्षकों को शपथ दिलायी कि वे राजकीय कार्य नहीं करेंगे। उनके द्वारा शपथ दिलाने का वीडियो भी वायरल हुआ है। अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही भी विचाराधीन है। इस कारण से अपीलार्थी के निलम्बित किया गया है।

4. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

5. आलोच्य आदेश के अवलोकन से हम पाते हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में चूंकि अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का विचार है, इस कारण से अपीलार्थी को सीसीए नियमों के नियम 13 के तहत निलम्बित किया गया है। निलम्बन आदेश जारी किये जाने में हम कोई नियम–विरूद्धता होना नहीं पाते हैं। अतः आलोच्य आदेश उक्त नियम 13 के प्रावधानों के अन्तर्गत विधि पूर्ण तरीके से जारी किया जाना प्रकट नहीं होता है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आलोच्य आदेश में हम कोई विधि विरूद्धता होना नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष